



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28022024-252448
CG-DL-E-28022024-252448

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 119]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 23, 2024/फाल्गुन 4, 1945

No. 119]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 23, 2024/PHALGUNA 4, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2024

सा.का.नि. 130(अ).—केन्द्रीय सरकार, धारा 49 ज की उपधारा (2) के साथ पठित वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 63 की उप-धारा (1) के खंड (अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम अनुसूचित नमूना (छूट की शर्तें और प्रक्रिया), नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) अभिप्रेत है;

(ख) "एटीए कारनेट" से एटीए अभिसमय के अधीन जारी एक अंतरराष्ट्रीय एक समान सीमा शुल्क दस्तावेज अभिप्रेत है;

(ग) "एटीए अभिसमय" से माल के अस्थायी प्रवेश के लिए एटीए कारनेट पर सीमा शुल्क अभिसमय अभिप्रेत है;

(घ) "परिशिष्ट" से अधिनियम से संलग्न अनुसूची 4 के अधीन निर्दिष्ट परिशिष्ट अभिप्रेत है;

(ङ) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(च) "प्रबंधन प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 49ड के अधीन नामनिर्दिष्ट प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(छ) "स्वामी" से किसी नमूने का स्वामी अभिप्रेत है और इसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति शामिल है जिसके पास ऐसा नमूना है;

(ज) "परमिट" से अभिसमय के अधीन जारी किया गया परमिट या प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(झ) "व्यक्तिगत या घर गृहस्थी का सामान" से ऐसे नमूने जो गैर-वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व में हैं और आयात, निर्यात या पुनः निर्यात के समय या तो पहने हुए हैं या व्यक्तिगत सामान में शामिल हैं; या घरेलू सामान का हिस्सा और इसमें शिकार ट्राफियों में शामिल गैंडे के सींग और हाथी दांत शामिल नहीं हैं;

(ञ) "नमूना संग्रह" से परिशिष्ट 1 या 2 में निर्दिष्ट मृत नमूनों, भागों और उनके व्युत्पन्नों का संग्रह और परिशिष्ट 1 में निर्दिष्ट प्रजातियां बंदी स्थिति में उत्पन्न होने या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए कृत्रिम रूप से तैयार प्रजातियां अभिप्रेत हैं;

(2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं, परिभाषित नहीं किए गए हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित किया गया है, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

3. अभिवहन या यानांतरण के अधीन नमूनों के लिए छूट.—(1) नमूनों को निर्यात या पुनः निर्यात परमिट की आवश्यकता नहीं होगी जब नमूने भारत के माध्यम से या उसके राज्यक्षेत्र में अभिवहन या यानांतरण में हों, जबकि नमूने सीमा शुल्क विभाग के नियंत्रण में हों।

(2) नमूने के साथ निर्यात या पुनः निर्यात के देश द्वारा जारी निर्यात या पुनः निर्यात परमिट की प्रति, जैसा भी मामला हो, संलग्न की जाएगी।

(3) नमूना संग्रह के मामले में,—

(क) परमिट में यानांतरण का गंतव्य स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए, जो जारी करने का देश होगा;

(ख) एटीए अभिसमय के अधीन आने वाले नमूनों के नमूना संग्रह की सीमा पार गतिविधियों के साथ अभिसमय के अधीन जारी एक मानक परमिट होगा, जिस पर यह संकेत दिया जाएगा कि दस्तावेज़ निर्यात, पुनः निर्यात और के लिए एक परमिट है। यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करेगा कि दस्तावेज़ नमूना संग्रह के लिए जारी किया गया है;

(ग) परमिट निर्दिष्ट करेगा कि यह एक नमूना संग्रह के अंतर्गत आता है और वैध एटीए कार्नेट के साथ आने तक अमान्य है;

(घ) परमिट के अधीन आने वाला नमूना परमिट जारी करने वाले राज्य के राज्यक्षेत्र के बाहर बेचा या अन्यथा स्थानांतरित नहीं किया जाएगा;

(ङ) एटीए कार्नेट के साथ आने वाली संख्या सीमा शुल्क दस्तावेज़ के पृष्ठांकन के लिए उत्तरदायी सीमा शुल्क द्वारा रिकार्ड और दर्ज की जाएगी;

(च) आयातक और निर्यातक या पुनः निर्यातक के देश सहित नाम और पता परमिट और एटीए कार्नेट में समान होगा, और दौरा किए जाने वाले देशों के नाम इंगित किए जाएंगे;

(छ) परमिट की समाप्ति की तारीख उसके साथ आने वाले एटीए कार्नेट की तारीख से बाद की नहीं होगी और वैधता की अवधि उस तारीख से छह महीने से अधिक नहीं होगी जिस दिन इसे प्रदान किया गया था;

(ज) सीमा शुल्क, प्रवेश या निकास के बिंदु पर, अभिसमय के अधीन जारी किए गए परमिट की उपस्थिति को सत्यापित करेगा और इसे संग्रह के साथ रहने की अनुमति देगा, और यह सुनिश्चित करेगा कि एटीए कार्नेट एक सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा एक प्राधिकृत स्टॉप और हस्ताक्षर के साथ उचित रूप से पृष्ठांकित है।

(4) परेषिती को प्रबंधन प्राधिकरण या प्राधिकृत अधिकारी या सीमा शुल्क के अधिकारियों की मांग पर वैध परमिट की उपस्थिति को सत्यापित करने के लिए परमिट प्रस्तुत करना होगा।

4. अभिसमय-पूर्व प्रमाणपत्र के लिए आवेदन.—(1) निर्यात या पुनः निर्यात करने का आशय रखने वाले किसी व्यक्ति को, वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 के प्रारंभ होने से पहले प्राप्त नमूने का निर्यात करने के लिए एक हजार रुपये की फीस के साथ प्ररूप 1 में प्रबंधन प्राधिकरण को, इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन करना होगा।

(2) प्रत्येक आवेदन के साथ प्ररूप 2 में उस क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले ऐसे अधिकारी जो उप वन संरक्षक की रैंक से नीचे का न हो, द्वारा जारी किया गया विधिक उपापन प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए।

(3) प्रबंधन प्राधिकरण या प्राधिकृत अधिकारी, यदि सत्यापन पर पाता है कि वह तारीख जिस पर प्रजाति का नमूना—

- i. जंगल से हटा दिया गया था; या
- ii. बंदी स्थिति में उत्पन्न या नियंत्रित वातावरण में कृत्रिम रूप से तैयार किया गया था; या
- iii. यदि ऐसी तारीख अज्ञात है या सुनिश्चित नहीं की जा सकती है, तो जिस तारीख को नमूना प्राप्त किया गया था वह तारीख वही होगी जिस पर वह पहली बार आवेदक के पास था,

उस तारीख से पहले जब संबंधित प्रजाति को पहली बार परिशिष्ट में शामिल किया गया था, प्ररूप 3 में एक प्रमाण पत्र जारी करें।

5. व्यक्तिगत या घरेलू प्रभाव के लिए छूट.- (1) कोई भी व्यक्ति, जो भारत का नागरिक है और उसने भारत के भीतर एक नमूना प्राप्त किया है जिस पर व्यक्तिगत या घरेलू प्रभाव है, व्यक्तिगत या घरेलू प्रभाव के रूप में नमूना के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रबंधन प्राधिकरण या प्राधिकृत अधिकारी को प्ररूप 4 में आवेदन करेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन आवेदन के साथ प्ररूप 2 में क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले ऐसे अधिकारी जो उप वन संरक्षक की रैंक से नीचे का न हो, द्वारा जारी विधिक उपापन प्रमाण पत्र और एक हजार रुपये की फीस संलग्न की जाएगी।

(3) प्रबंधन प्राधिकरण या प्राधिकृत अधिकारी व्यक्तिगत या घरेलू प्रभाव के रूप में नमूने के प्ररूप 5 में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(4) यदि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत या घरेलू प्रभाव के रूप में निम्नलिखित प्रजातियों में से किसी को निर्यात करने का आशय रखता है, तो उसे प्रबंधन प्राधिकरण या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत एजेंसी द्वारा जारी किए गए उस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा, अर्थात्:—

- (क) स्टर्जन प्रजाति (एसिपेंसरिफोर्मेस एसपीपी) के कैवियार, अभिसमय के अनुसार लेबल किए गए कंटेनर में प्रति व्यक्ति एक सौ पच्चीस ग्राम से अधिक नहीं ले जाया जा सकता है;
- (ख) कैक्टैसी प्रजाति की लकड़ी वर्षा प्रति व्यक्ति तीन नमूनों से अधिक नहीं होनी चाहिए;
- (ग) अगरवुड के नमूने प्रति व्यक्ति एक किलोग्राम लकड़ी के चिप्स, चौबीस मिलीलीटर तेल और मोतियों या प्रार्थना माला के दो सेट (या दो हार या कंगन) से अधिक नहीं होने चाहिए।

(5) कोई भी स्वामी जिसने अपने देश की नागरिकता में नमूना हासिल कर लिया है, उसे निर्यात के देश द्वारा जारी किए गए निर्यात परमिट के बिना ऐसे नमूने के आयात की अनुमति दी जाएगी यदि नमूने के साथ आयातक के व्यक्तिगत या घरेलू प्रभाव के रूप में नमूने का उल्लेख करते हुए निर्यात के देश के प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न है।

6. परिशिष्ट 1 की बंदी स्थिति में उत्पन्न नमूने को परिशिष्ट 2 के समान माना जाएगा- (1) परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बंदी स्थिति में उत्पन्न प्रजातियों के नमूने का प्रत्येक स्वामी निर्यात प्रयोजन के लिए अभिसमय के अनुच्छेद 7 के अधीन छूट के लिए प्ररूप 6 में आवेदन करेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन आवेदन के साथ प्ररूप 2 में क्षेत्रों पर क्षेत्राधिकार रखने वाले ऐसे अधिकारी जो उप वन संरक्षक की रैंक से नीचे के न हो, द्वारा जारी विधिक उपापन प्रमाण पत्र और एक हजार रुपये की फीस संलग्न की जाएगी।

(3) उप-नियम (1) के अधीन आवेदन के साथ निम्नलिखित सबूत संलग्न किए जाएंगे-

- (क) सुविधा को अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अनुज्ञप्ति प्राप्त है;
- (ख) सुविधा अभिसमय के सचिवालय के साथ रजिस्ट्रीकृत है; और
- (ग) निर्यात किए जाने वाले नमूने के साथ अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र संलग्न होगा।

(4) यदि आवेदन सही पाया जाता है तो प्रबंधन प्राधिकरण पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर वैज्ञानिक प्राधिकरण से सलाह ले सकता है।

(5) वैज्ञानिक प्राधिकरण ऐसी जांच और परीक्षण करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, प्रबंधन प्राधिकरण को सलाह देगा।

(6) वैज्ञानिक प्राधिकरण की सलाह प्राप्त होने पर प्रबंधन प्राधिकरण पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर निर्यात या पुनः निर्यात के लिए परमिट जारी करेगा।

(7) अनुसूची 4 के परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए बंदी स्थिति में उत्पन्न, प्रजातियों के नमूने के स्वामी जो आयात परमिट की आवश्यकता से छूट लेने का आशय रखते हैं, उन्हें यथास्थिति, स्रोत कोड 'घ' के साथ निर्यात या पुनः निर्यात देश के प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी निर्यात या पुनः निर्यात परमिट प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।

7. परमिट या प्रमाण पत्र के बदले प्रमाण पत्र की स्वीकृति.—(1) परिशिष्ट में सूचीबद्ध किसी प्रजाति के नमूने के आयात के मामले में, निर्यात के देश के प्रबंधन प्राधिकरण से यह प्रमाण पत्र कि किसी पशु प्रजाति का कोई नमूना बंदी स्थिति में उत्पन्न हुआ था या किसी पौधे की प्रजाति का कोई नमूना कृत्रिम रूप से तैयार किया गया था, या ऐसे पशु या पौधे का भाग है या पशु के मामले में स्रोत कोड 'ग' के साथ और पौधों के मामले में स्रोत कोड 'क' के साथ प्राप्त किया गया था। अधिनियम के अधीन आवश्यक किसी भी अन्य परमिट या प्रमाण पत्र के बदले में स्वीकृत किया जाएगा।

(2) नमूना परिशिष्ट 1 में बंदी स्थिति में उत्पन्न नमूने में व्यापार की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब इसे अभिसमय के संकल्पों में अंकन के उपबंधों के अनुसार चिह्नित किया गया हो और यदि चिह्न का प्रकार और संख्या व्यापार प्राधिकृत करने वाले दस्तावेज़ पर इंगित की गई हो।

8. वैज्ञानिक, वैज्ञानिक संस्थान के बीच गैर-वाणिज्यिक ऋण, दान या विनिमय.—(1) कोई भी वैज्ञानिक या वैज्ञानिक संस्थान जो हर्बेरियम नमूने, अन्य संरक्षित, सूखे या एम्बेडेड संग्रहालय नमूने, और सूचीबद्ध प्रजातियों के जीवित पौधों की सामग्री का निर्यात करने का आशय रखता है और परिशिष्टों में वैज्ञानिक या गंतव्य देश के प्रबंधन प्राधिकरण के साथ रजिस्ट्रीकृत एक वैज्ञानिक संस्थान के साथ गैर-वाणिज्यिक ऋण, दान या विनिमय और परमिट या प्रमाण पत्र के संबंध में छूट की मांग के लिए प्ररूप 7 में रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रबंधन प्राधिकरण को आवेदन करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन के साथ, क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले उप वन संरक्षक द्वारा प्ररूप 2 में जारी विधिक उपापन प्रमाणपत्र और एक हजार रुपये का शुल्क संलग्न किया जाएगा।

(3) प्रबंधन प्राधिकरण, समाधान होने पर वैज्ञानिक या वैज्ञानिक संस्था को रजिस्ट्रीकृत करेगा और वैज्ञानिक या वैज्ञानिक संस्था के नमूने या उसके पैकेज पर चिपकाने के लिए प्ररूप 8 में एक लेबल चिह्न और लेबल जारी करेगा।

(4) प्रबंधन प्राधिकरण, रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं की पहचान करने के लिए पांच-अक्षर का कोड समनुदेशित करेगा, जिसमें पहले दो अक्षर 'आईएन' होंगे और अंतिम तीन अक्षर एक विशिष्ट संख्या होनी चाहिए।

(5) वैज्ञानिक या वैज्ञानिक संस्था, उपनियम (3) के अनुसार रजिस्ट्रीकृत होने पर और लेबल चिह्न जारी करने पर, निर्यात से पहले नमूने या उसके पैकेज पर लेबल चिपकाने के लिए प्राधिकृत होगा।

(6) कोई भी वैज्ञानिक या वैज्ञानिक संस्था, जो अनुज्ञा की अपेक्षा से छूट चाहती है और हर्बेरियम नमूने, अन्य संरक्षित, सूखे या एम्बेडेड संग्रहालय नमूने आयात करने का, और परिशिष्ट में सूचीबद्ध प्रजातियों की जीवित पौधों की सामग्री को गैर-वाणिज्यिक ऋण, संदान का या निर्यातक देश के प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकृत वैज्ञानिक या वैज्ञानिक संस्था से विनिमय का आशय रखता है, उस देश के प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी या अनुमोदित किए गए लेबल रखेगी।

9. वैज्ञानिक संस्थानों के रजिस्ट्रीकरण के लिए मानक—(1) नियम 8 के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक वैज्ञानिक और वैज्ञानिक संस्था, निम्नलिखित मानकों का पालन करेंगी, अर्थात् :--

- (क) स्थायी रूप से रखे गए और वृत्तिक रूप से संग्रहीत, पशुओं या पादकों के नमूनों का संग्रह, और उनके सहबद्ध अभिलेख, उचित रूप से बनाए रखे जाएंगे;
- (ख) सभी अर्हित उपयोगकर्ताओं, जिनमें वे भी सम्मिलित हैं, जो अन्य संस्थाओं से हैं, के लिए पहुंचयोग्य नमूने पृथक् रूप से अभिलेखित किए जाएंगे;
- (ग) सभी अधिमिलन, एक स्थायी सूची में समुचित रूप से अभिलेखित किये गये हैं;
- (घ) अन्य संस्थाओं को ऋण और अंतरण के लिए स्थायी अभिलेख रखे जाएंगे;

- (ङ) प्रमुख रूप से अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए प्राप्त नमूनों की वैज्ञानिक प्रकाशनों में रिपोर्ट की गई है;
- (च) नमूने इस प्रकार से तैयार किए गए हैं और संग्रह इस तरह से व्यवस्थित किये गये हैं कि उनकी उपयोगिता सुनिश्चित हो सके;
- (छ) नमूना लेबल, स्थायी सूची और अन्य अभिलेख पर सटीक डॉटा अनुरक्षित किया गया है;
- (ज) नमूनों का अधिग्रहण और कब्जा ऐसे अर्जन और कब्जे को नियंत्रित करने वाली विधियों के अनुसार किया गया है; और
- (झ) परिशिष्ट 1 में सम्मिलित प्रजातियों के सभी नमूनों को वैज्ञानिक संस्था के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन स्थायी रूप से और केंद्रीयकृत रूप में रखा गया है, और उनका प्रबंध, सजावट, ट्रॉफी या अभिसमय के सिद्धांतों से असंगत अन्य प्रयोजनों के लिए ऐसे नमूनों के उपयोग को रोकने की रीति से किया गया है।

(2) फोरेंसिक अनुसंधान में नियोजित किसी संस्था की दशा में, उपनियम (1) के अधीन मानकों के अतिरिक्त, निम्नलिखित मानकों का अनुपालन करना होगा, अर्थात्:--

- (क) प्रबंधन प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे संस्था वन्यजीव फोरेंसिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए उपयुक्त हैं;
- (ख) अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए वन्यजीव संदर्भ डेटाबेस के विकास के माध्यम से फोरेंसिक अनुसंधान क्षमताओं के विस्तार के लिए मूल रूप से अर्जित पशु या पादप नमूने, स्थायी सूची में उचित रूप से अभिलिखित किए गए हैं;
- (ग) स्थायी अभिलेख में अन्य संस्थाओं को ऋण और अंतरण के बारे में सूचना और संव्यवहार का प्रयोजन अंतर्विष्ट हो;
- (घ) प्रत्येक संस्था, अनुसंधान संचालित करने के लिए प्रयुक्त उसकी क्वालिटी प्रबंधन प्रणाली का संदर्भ देगी; और
- (ङ) सटीक डेटा, उदाहरण के लिए वैज्ञानिक नाम, वजन, भौगोलिक उत्पत्ति, स्रोत कोड, अनुसंधान का प्रयोजन और परिणाम, स्थायी सूची में अभिलिखित किया गया हो, और नमूनों पर सटीक और पर्याप्त रूप से लेबल लगाया गया हो।

10. किसी यात्रा चिड़ियाघर, सर्कस, मेनागिरी, पादप प्रदर्शनी या अन्य यात्रा प्रदर्शनी में नमूनों का रजिस्ट्रीकरण—(1) किसी यात्रा चिड़ियाघर, सर्कस, मेनागिरी, पादप प्रदर्शनी या अन्य यात्रा प्रदर्शनी का कोई भी अधिकृत व्यक्ति, जिसके पास वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 के प्रारंभ से पूर्व अर्जित किए गए नमूने हैं, ऐसे यात्रा चिड़ियाघर, सर्कस, मेनागिरी, पादप प्रदर्शनी या अन्य यात्रा प्रदर्शनी के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्ररूप 9 में आवेदन करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन के साथ क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले उप वन संरक्षक द्वारा प्ररूप 2 में जारी किया गया विधिक उपापन प्रमाणपत्र और एक हजार रुपये का फीस संलग्न होगी।

(3) प्रबंधन प्राधिकरण या प्राधिकृत अधिकारी प्ररूप 10 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा, यदि प्रबंधन प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि,--

- (क) ऐसा नमूना, जीवित जानवरों की दशा में अधिनियम की धारा 49ड और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार है;
- (ख) किसी जीवित नमूने का परिवहन और देखभाल इस प्रकार की जाएगी कि पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) के उपबंधों के अनुपालन में क्षति के जोखिम, स्वास्थ्य के नुकसान को कम किया जा सके या उपचार जा सके।

(4) ऐसे नमूने, जो यात्रा चिड़ियाघर, सर्कस, मेनागिरी, पादप प्रदर्शनी या प्रबंधन प्राधिकरण के साथ रजिस्ट्रीकृत अन्य यात्रा प्रदर्शनी का भाग हैं, निर्यात या पुनः निर्यात अनुज्ञा के बिना निर्यात किए जा सकेंगे।

11. आयातक देश के साथ सत्यापन—आवेदक, भारत से निर्यात या पुनः निर्यात से पहले, संभावित आयातकों से या इच्छित गंतव्य देश के प्रबंधन प्राधिकरण के साथ जांच करेगा कि क्या ऐसा देश आयात के लिए इन नियमों के अधीन जारी प्रमाणपत्र को स्वीकार करेगा।

प्ररूप 1

[नियम 4 का उपनियम (1) और उपनियम (3) देखें]

प्ररूप 1						
पूर्व-अभिसमय प्रमाणपत्र के लिए आवेदन का प्ररूप						
साधारण सूचना (सभी मामलों के लिए आज्ञापक):						
1.	(क) आवेदक का नाम					
	(ख) आवेदक की आधार संख्या					
	(ग) आयात-निर्यात कोड					
2.	आवेदक का स्थायी पता					
3.	आवेदक का वर्तमान पता					
4.	आवेदन का प्रयोजन (कृपया जो लागू हो, उस पर चिन्ह लगा दे)		आयात/निर्यात/पुनःनिर्यात/समुद्र से प्रवेश			
5.	नमूने का स्रोत					
6.	आयात/निर्यात/पुनःनिर्यात/समुद्र से प्रवेश का प्रयोजन					
7.	संदत्त फीस के ब्यौरे					
	(क) संव्यवहार संख्या/डी.डी. सं.					
	(ख) संदत्त रकम					
8.	नमूने के ब्यौरे					
	साधारण नाम	वैज्ञानिक नाम	नमूने की संख्या/ क्वालिटी	आयु/पौधा/वृक्ष	लिंग	आईटीसी एचएस कोड
9.	पारेषिती का नाम					
10.	पारेषिती का पता					
12.	विधिक उपापन प्रमाणपत्र संख्या, तारीख, स्थान और जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम					
13.	क्या विनिर्दिष्ट पादपों की दशा में अधिनियम के अध्याय 3ख के अधीन मुख्य वन्य जीवन वार्डन द्वारा अनुज्ञप्ति जारी की गई है ?			हां/नहीं		
14.	यदि आयात किया जाता है, तो आयात की तारीख, आयात का पत्तन और प्रवेश बिल संख्या और तारीख और वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निबंधित अभिसमय के मामले में सूचीबद्ध वस्तुएं, आयात अनुज्ञप्ति संख्या और विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा					

	जारी करने की तारीख, आयात की अनुमति देने वाले पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का अनुमति पत्र प्रदान करें।	
15.	निकास पत्तन	
16.	कोई अन्य ब्यौरे	

वचनबंध

मैं [आवेदक का नाम], पुत्र या पुत्री या पत्नी [पिता का नाम या पति का नाम] घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सभी विशिष्टियाँ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य हैं और उपरोक्त प्रस्तुत किए गए कोई ब्यौरे असत्य पाए जाते हैं तो मेरा आवेदन रद्द किए जाने के लिए दायी होगा।

मैं, नमूनों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियम, 2023 के विनियमों में उल्लिखित सभी शर्तों और ऐसी अन्य शर्तों, जो मुख्य वन्य जीव वार्डन द्वारा अधिरोपित की जाएं, से बाध्य रहूंगा।

तारीख :

हस्ताक्षर :

स्थान :

आवेदक का नाम :

आवेदक का वर्तमान पता :

संलग्नकों की सूची :

1. आवेदक के आधार कार्ड या सोसायटी या कंपनी या बोर्ड आदि की दशा में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या निगमन प्रमाण पत्र की प्रति।
2. आवेदक के पते का सबूत।
3. परिशिष्ट 1 प्रजातियों के निर्यात की दशा में वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर संबंधित अभिसमय द्वारा जारी की गई अग्रिम आयात अनुज्ञा की प्रति।
4. परिशिष्ट 1 प्रजातियों के निर्यात की दशा में वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर संबंधित अभिसमय द्वारा जारी की गई अग्रिम आयात अनुज्ञा/पुनःनिर्यात की दशा में विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी आयात अनुज्ञप्ति की प्रति।
5. निर्यात की दशा में संबंधित वन विभाग द्वारा जारी विधिक उपापन प्रमाणपत्र की प्रति।
6. मुख्य वन्य जीव वार्डन के अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति।

प्ररूप 2

[नियम 4 का उपनियम (2), नियम 5, नियम 6, नियम 8 और नियम 11 देखें]

विधिक उपापन प्रमाणपत्र

(वन्य जीव/वनस्पति/व्युत्पन्न)

(अहस्तांतरणीय)

प्रमाणपत्र सं. : _____

तारीख : _____

_____ तक विधिमान्य

1. यह प्रमाणपत्र नीचे दी गई सारणी में वर्णित प्रजातियों के नमूने के निर्यात के लिए लाइसेंस संख्या (यदि लागू

हो) _____ के धारक श्रीमान/सुश्री _____, पुत्र/पुत्री/पत्नी _____, निवासी _____ के पक्ष में जारी किया जाता है।

2. मैं प्रमाणित करता हूँ कि नीचे दी गई सारणी में वर्णित अनुसूची 4 में सूचीबद्ध प्रजातियों के नमूनों को इस कार्यालय द्वारा सत्यापित किया गया है और उनके निर्यात/पुनः निर्यात की सिफारिश की गई है।
3. प्रजातियों के नमूने के ब्यौरे :

क्रम संख्या	मद का वर्णन	प्रजातियों का वैज्ञानिक नाम	सामान्य/स्थानीय नाम	मात्रा (सं./भार)	टिप्पणियां, यदि कोई हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

पदधारी के हस्ताक्षर और पदनाम
(उप वनसंरक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो)
पदनाम

प्ररूप-3

[नियम 4 का उपनियम (3) और नियम 11 का उपनियम (2) देखें]

अभिसमय-पूर्व प्रमाणपत्र		परमिट/प्रमाणपत्र संख्या		मूल
		☐ निर्यात ☐ पुनः-निर्यात		2.तक वैध
3. आयातक (नाम और पता)		4. निर्यातक/पुनः-निर्यातक (नाम, पता और देश)		
3क. उस देश का नाम, जहां से आयात किया गया है		आवेदक के हस्ताक्षर		
4. विशेष स्थितियां यदि जीवित प्राणियों के लिए है तो यह परमिट या प्रमाणपत्र तब विधिमान्य होगा जब परिवहन करने की स्थितियां अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संगम जीवित प्राणी विनियम ; यदि जीवित पादपों के लिए है तो अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संगम नाशवान स्थोरा विनियम ; या गैर वायु परिवहन की दशा में जीवित वन्य प्राणी और पादपों के लिए गैर वायु परिवहन पर वन्य प्राणी और वनस्पति परिसंकटमय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय दिशानिर्देशों का पालन करती हैं।		6. प्रबंधक प्राधिकारी का नाम, पता, राष्ट्रीयता मुहर/स्टैंप और देश		
5क. संव्यवहार का प्रयोजन	5ख. सुरक्षा स्टॉप संख्या।			
7 /8. वैज्ञानिक नाम (मूलवंश और प्रजाति) तथा वनस्पति या पादप का सामान्य नाम	9. नमूनों का विवरण जिसके अंतर्गत पहचान चिह्न या पहचान संख्या सम्मिलित है (आयु/लिंग यदि जीवित है)	10. परिशिष्ट संख्या और स्रोत	11. मात्रा सहित) निर्यातित/कोटा	11क. (ईकाई कुल

क	7./8.	9		10	11		11क
	12. उद्गम देश	परमिट सं.	तारीख	12क. पुनः निर्यात का अंतिम देश	परमिट संख्या	तारीख	12ख. अर्जन की तारीख
ख	7./8.	9		10	11		11क
	12. उद्गम देश	परमिट सं.	तारीख	12क. पुनः निर्यात का अंतिम देश	परमिट संख्या	तारीख	12ख. अर्जन की तारीख
ग	7./8.	9		10	11		11क

	12. उद्गम देश	परमिट सं.	तारीख	12क. पुनः निर्यात का अंतिम देश	परमिट संख्या	तारीख	12ख. अर्जन की तारीख
घ	7./8.	9		10	11		11क
	12. उद्गम देश	परमिट सं.	तारीख	12क. पुनः निर्यात का अंतिम देश	परमिट संख्या	तारीख	12ख. अर्जन की तारीख
देश, जिसमें वन से नमूना लिया गया था, बंधक अवस्था में प्रजनन किया गया था या कृत्रिम रूप से प्रसार किया गया था (केवल पुनःनिर्यात की दशा में)							
13. यह परमिट/प्रमाणपत्र द्वारा जारी किया गया है:							
स्थान, तारीख, सुरक्षा स्टाम्प, हस्ताक्षर और शासकीय मुहर							
14. निर्यात पृष्ठांकन:				15. लदान/वायु मार्ग बीजक संख्या:			
ब्लॉक	मात्रा						
क							
ख							
ग							
घ							
निर्यात पत्तन, तारीख, हस्ताक्षर, शासकीय स्टाम्प और पदनाम							

अभिसमय पूर्व परमिट/प्रमाणपत्र संख्या

अनुदेश और स्पष्टीकरण

(यह प्ररूप में ब्लॉक संख्या के अनुरूप हैं)

1. उस वर्ग पर सही का निशान लगाएं जो जारी किए गए दस्तावेज की किस्म के अनुसार है (निर्यात परमिट, पुन निर्यात प्रमाणपत्र, आयात परमिट या अन्य) यदि अन्य बाक्स पर सही का निशान लगाया गया है तो दस्तावेज की किस्म को अनिवार्य रूप से उपदर्शित किया जाना है। मूल संख्या प्रबंधन प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक दस्तावेज के लिए आवंटित विशिष्ट संख्या है।

2. निर्यात परमितों और पुनर्निर्यात प्रमाणपत्रों के लिए दस्तावेज के अवसान की तारीख की जारी करने की तारीख के पश्चात् छह मास से अधिक नहीं हो सकेगी (आयात परमितों के लिए एक वर्ष)

3. आयातक का पूरा नाम और पता।

3क. देश पूर्ण नाम लिखा जाना चाहिए।

4. आयातक/पुनर्आयातक का पूरा नाम और पता। देश के नाम का अनिवार्य रूप से कथन किया जाएगा। आवेदक के हस्ताक्षर न होने पर परमित या प्रमाणपत्र अविधिमान्य हो जाएगी।

5. विशेष शर्तें राष्ट्रीय विधान या जारीकर्ता प्रबंधन प्राधिकारी द्वारा शिपमेंट पर लगाई गई विशेष शर्तों को निर्दिष्ट कर सकेंगी। इस ब्लाक का उपयोग कतिपय सूचना के लोप को न्यायोजित ठहराने के लिए किया जा सकेगा।

5क. निम्नलिखित कूट का उपयोग किया जाना चाहिए : वाणिज्यिक के लिए टी, प्राणी उद्यान के लिए जेड, वनस्पति उद्यान के लिए जी, सर्कस या भ्रमणशील प्रदर्शन के लिए क्यू, वैज्ञानिक के लिए एस, शिकार ट्राफी के लिए एच, वैयक्तिक के लिए पी, चिकित्सा के लिए एम, शिक्षा के लिए ई पुनः स्थापित करने या वन्य प्रदेश में स्थापित करने के लिए एन, बंधक अवस्था में प्रजनन या कृत्रिम जनन के लिए बी और विधि प्रवर्तन/न्यायिक/विधि विज्ञान के लिए एल।

5ख. ब्लॉक 13 में चस्पा की गई सुरक्षा स्टाम्प के नंबर को उपदर्शित करें।

6. प्रबंधन प्राधिकार जारी करने वाले का नाम, पता और देश को प्ररूप में पहले ही मुद्रित किया जाना चाहिए।

7-8. प्राणी या पादप के वैज्ञानिक नाम (मूलवंश और प्रजाति, जहां उपयुक्त हों, उप प्रजाति) का वैज्ञानिक नाम, जैसा कि वह अभिसमय परिशिष्टों या पक्षकारों की संगोष्ठी द्वारा अनुमोदित निर्देश सूचियों में है, को उपदर्शित करें तथा परमिट जारी करने वाले देश में यथा ज्ञात प्राणी या पादप का सामान्य नाम।

9. जितना संभव हो सके व्यापार में प्रविष्ट होने वाले नमूने (जीवित प्राणी चर्म, फ्लेक्स, वेलेट, जूते आदि) का सटीक वर्णन करें। यदि कोई नमूना चिह्नित है (टैग, पहचान चिह्न, रिंग, आदि) क्या ये पक्षकारों की संगोष्ठी के संकल्प द्वारा अपेक्षित है या अपेक्षित नहीं है (किसी रेंचिंग प्रचालन में उद्भूत होने वाले नमूने, नमूने पक्षकारों की संगोष्ठी द्वारा अनुमोदित कोटा के अधीन हैं, परिशिष्ट 1 के नमूने, प्रजातियों का वाणिज्यिक प्रयोजनों आदि के लिए बंधक अवस्था में प्रजनन किया गया है, चिह्न के नंबर और किस्म को उपदर्शित करें। जीवित प्राणी के लिंग और आयु को अभिलिखित किया जाना चाहिए, यदि संभव हो तो।

10. उस अभिसमय (1, 2 या 3) के परिशिष्ट की संख्या को दर्ज करें, जिसमें प्रजाति सूचीबद्ध है।

स्रोत को उपदर्शित करने के लिए निम्नलिखित कूटों का उपयोग करें :

वन्य क्षेत्र से लिया गया नमूना डब्ल्यू

“किसी राज्य की अधिकारिता के अधीन न आने वाले समुद्री वातावरण से” लिया गया नमूना एक्स

रेंच से लिए गए नमूने आर : नियंत्रित वातावरण में पोषित प्राणियों के नमूने, जिन्हें वन्य क्षेत्र से अंडों या किशोरों के रूप में लिया गया है, जहां अन्यथा उनकी वयस्कता तक जीवित रहने की संभावना बहुत कम थी।

डी परिशिष्ट 1 संक्रियाओं में वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बंधक अवस्था में प्रजनन किए गए प्राणी, जिसके अंतर्गत संकल्प संगोष्ठी 12.10 (आरईवी सीओपी15) के अनुसार सचिवालय का रजिस्टर और परिशिष्ट 1 वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए कृत्रिम रूप से तैयार किए गए पादपों के साथ-साथ उनके भाग और व्युत्पन्नियां सम्मिलित हैं, जिनका अभिसमय के पैरा 4 के अनुच्छेद 7 के उपबंधों के अधीन निर्यात किया गया है।

ए पादप, जिनको संकल्प संगोष्ठी 11.11 (आरईवी सीओपी18) के अनुसार कृत्रिम रूप से तैयार किया गया है, के साथ उनके भाग और व्युत्पन्नियां, जिनका अनुच्छेद 7 के पैरा 5 के उपबंधों के अधीन निर्यात किया गया है (परिशिष्ट 1 में सम्मिलित प्रजातियों के नमूने, जिनको गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए कृत्रिम रूप से तैयार किया गया है और परिशिष्ट 2 तथा परिशिष्ट 3 में सम्मिलित प्रजातियों के नमूने।

सी प्राणी, जिनका संकल्प संगोष्ठी 10.16 (आरईवी) के अनुसार बंधक अवस्था में प्रजनन किया गया है, के साथ उनके भाग और व्युत्पन्नियां, जिनका अनुच्छेद 7 के पैरा 5 के उपबंधों के अधीन निर्यात किया गया है।

एफ बंधक अवस्था में जन्मे प्राणी (च1 या पश्चातवर्ती पीढ़ियां), जो संकल्प सीओएनएफ 10.16 (आरईवी) में ‘बंधक अवस्था में प्रजनित’ की परिभाषा को पूरा नहीं करते हैं, के साथ उनके भाग और व्युत्पन्नियां।

वाई पादपों के नमूने, जो संकल्प सीओएनएफ 11.11 (आरईवी सीओपी18) में ‘सहायता से उत्पादन की परिभाषा को पूरा करते हैं’, के साथ उनके भाग और व्युत्पन्नियां।

यू स्रोत अज्ञात (अनिवार्य रूप से न्यायोचित्य प्रदान किया जाए)

आई प्रतिस्मरण किए गए या जब्त किए गए नमूने

ओ अभिसमय पूर्व नमूने (अन्य स्रोत कूटों के साथ उपयोग किया जा सकेगा)

11. उपदर्शित मात्रा और इकाईयां वन्य प्राणी और वनस्पति की संकटापन्न प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अभिसमय पर वार्षिक रिपोर्टों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के दिशानिर्देशों के अधिकतम नवीनतम संस्करण के अनुरूप होनी चाहिए।

11क. वर्तमान कलेंडर वर्ष (1 जनवरी से 31 दिसंबर) (जिसके अंतर्गत विद्यमान परमिट के अधीन आने वाले सम्मिलित हैं) में निर्यात किए गए नमूनों की कुल संख्या और संबंधित प्रजातियों के लिए विद्यमान वार्षिक कोटा (उदाहरणार्थ 500/1000) यह राष्ट्रीय कोटा के साथ पक्षकारों की संगोष्ठी में अवधारित के लिए भी किया जाना चाहिए।

12. उद्गम देश वह देश है, जिस देश में वन्य क्षेत्र से नमूने लिए गए थे, बंधक अवस्था में प्रजनन किया गया था या कृत्रिम रूप से उनका प्रसार किया गया था सिवाय पादपों के नमूनों के, जो संकटापन्न वन्य प्राणी और वनस्पति में व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के उपबंधों से छूट प्राप्त करने के लिए अर्हित नहीं है। ऐसे मामलों में उद्गम देश वह देश माना जाएगा जिसमें नमूने छूट के लिए अर्हित होना समाप्त कर देते हैं। निर्यात करने वाले देश के लिए परमिट या प्रमाणपत्र की संख्या को उपदर्शित करें तथा जारी करने की तारीख को भी उपदर्शित करें। यदि संपूर्ण या भागतः सूचना ज्ञात नहीं है तो इसे ब्लॉक 5 में न्यायोचित ठहराया जाना चाहिए। इस ब्लॉक को केवल पुनः निर्यात की दशा में पूरा किया जाएगा ;

12क. अंतिम पुनः निर्यात का देश वह देश है, जिससे नमूनों को उस देश में प्रवेश करने से पूर्व पुनः निर्यात कर दिया जाता है, जिसमें विद्यमान दस्तावेज जारी किया जाता है। अंतिम पुनः निर्यात के देश के पुनः निर्यात प्रमाणपत्र की संख्या और उसके जारी करने की तारीख को दर्ज करें। यदि संपूर्ण या भागतः सूचना ज्ञात नहीं है तो इसे ब्लॉक 5 में न्यायोचित ठहराया जाना चाहिए। इस ब्लॉक को केवल पूर्व में पुनः निर्यात किए गए नमूनों को पुनः निर्यात करने की दशा में पूरा किया जाएगा।

12ख. “प्रचालन का नंबर” रजिस्ट्रीकृत बंधक प्रजनन या कृत्रिम प्रसार प्रचालन का रजिस्ट्रीकृत नंबर है। “अर्जन की तारीख” को संकल्प सीओएनएफ. 13.6 (आरईवी. सीओपी16) में परिभाषित किया गया है और यह केवल अभिसमय पूर्व नमूनों के लिए अपेक्षित है।

13. इसे उस कार्मिक द्वारा पूरा किया जाना है, जो परमिट जारी करता है। कार्मिक का पूरा नाम लिखा जाएगा। सुरक्षा स्टाम्प को ब्लॉक में चस्पा किया जाएगा और इसे जारी करने वाले कार्मिक के हस्ताक्षर द्वारा तथा स्टाम्प या मुहर द्वारा अनिवार्य रूप से कैंसल किया जाएगा। मुहर, हस्ताक्षर और सुरक्षा स्टाम्प संख्या को संख्या स्पष्ट रूप से पठनीय होनी चाहिए।

14. उस कार्मिक द्वारा पूरा किया जाएगा, जो आयात या पुनः निर्यात की दशा में शिपमेंट का निरीक्षण करता है। वास्तव में निर्यातित या पुनः निर्यातित नमूनों की मात्रा को दर्ज करे। इस्तेमाल न किए गए ब्लॉकों को काट दें।

15. लदान बीजक या वायु मार्ग बीजक की संख्या को दर्ज करें यदि परिवहन में उपयोग की गई विधि ऐसे दस्तावेज के उपयोग की अपेक्षा करती है।

इस्तेमाल के पश्चात् इस दस्तावेज को अनिवार्य रूप से आयातक देश के प्रबंधकर्ता प्राधिकारी को वापस लौटा दिया जाएगा।

प्ररूप IV

[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]

व्यक्तिगत या घरेलू प्रभावों के लिए आवेदन प्ररूप		
1.	(क) आवेदक का नाम	
	(ख) आवेदक का आधार संख्यांक	
2.	आवेदक का स्थायी पता	
3.	आवेदक का वर्तमान पता	
4.	आवेदन का प्रयोजन (कृपया सही का चिह्न लगाएं, जो लागू हो)	निर्यात/पुनर्निर्यात

	आवेदन के प्रयोजन के अतिरिक्त ब्यौरे				
5.	नमूने का स्रोत				
6.	निर्यात/आयात/पुनर्निर्यात /समुद्र से प्रवेश का प्रयोजन				
7.	संदत्त फीस के ब्यौरे				
	(क) संव्यवहार संख्यांक/डीडी सं.				
	(ख) संदत्त रकम				
8.	नमूने के ब्यौरे				
सामान्य नाम	वैज्ञानिक नाम	नमूनों की संख्या/मात्रा	नई पौध/वृक्षों की आयु	लिंग	हारमोनाइज्ड सिस्टम एचएस कोड पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्पष्टीकरण
9.	घरेलू शिल्प उपकरण के अर्जन हेतु दस्तावेजी सबूत				
10.	तारीख जब से नमूने आवेदक के साथ हैं				
11.	विधिक उपापन प्रमाण पत्र संख्यांक, तारीख, स्थान और जारी करने वाला प्राधिकारी				
12.	निकासी पत्तन				
13.	कोई अन्य ब्यौरे				

वचनबंध

मैं..... (आवेदक का नाम) पुत्र या पुत्री या पत्नी.....(पिता का नाम या पति का नाम) यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत सभी विशिष्टियाँ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान में सत्य हैं और उपरोक्त प्रस्तुत ब्यौरे यदि मिथ्या पाए जाएं तो मेरा आवेदन निरस्त होने का दायी होगा ।

मैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार नमूना नियम, 2023 में उल्लिखित सभी शर्तें और कोई अन्य शर्त जो मुख्य वन्य जीव वार्डन द्वारा अधिरोपित की जाए, का पालन करूंगा।

तारीख:

हस्ताक्षर

स्थानः

आवेदक का नाम

आवेदक का वर्तमान नाम

संलग्नकों की सूची:

1. आवेदक के आधार कार्ड या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रति
2. आवेदक के पते का सबूत
3. परिशिष्ट-1 की प्रजातियों के निर्यात के मामले में, वन्य प्राणी और वनस्पति की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रबंधन प्राधिकरण पर संबंधित अभिसमय द्वारा जारी किए गए अग्रिम आयात अनुज्ञापत्र की प्रति।
4. परिशिष्ट-1 की प्रजातियों के निर्यात के मामले में, वन्य प्राणी और वनस्पति की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रबंधन प्राधिकरण पर अभिसमय द्वारा जारी आयात अनुज्ञापत्र/पुनःनिर्यात के मामले में विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी आयात अनुज्ञप्ति की प्रति।
5. निर्यात के मामले में संबंधित वन विभाग द्वारा जारी विधिक उपापन प्रमाण पत्र की प्रति।
6. मुख्य वन्य जीव वार्डन के अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति।

प्ररूप V

[नियम 5 का उपनियम (3) देखें]

घरेलू प्रभावों के लिए प्रमाण पत्र					
1.	(क) आवेदक का नाम				
	(ख) आवेदक की आधार संख्या				
	(ग) आयात निर्यात कोड				
2.	आवेदक का स्थायी पता				
3.	आवेदक का वर्तमान पता				
4.	वन्य प्राणी और वनस्पति की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अभिसमय और वन्य जीव और वनस्पति निर्यात अनुज्ञापत्र संख्यांक और जारी करने की तारीख, यदि लागू हो				
5.	तारीख जब से नमूने आवेदक के पास हैं				
6.	उस नमूने के ब्यौरे जिसके अनुज्ञापत्र/ प्रमाण पत्र विधिमान्यता का विस्तार प्रदान किया गया है				
सामान्य नाम	वैज्ञानिक नाम	नमूनों की संख्या/मात्रा	नई पौध/वृक्षों की आयु	लिंग	हारमोनाइज्ड सिस्टम एचएस कोड पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्पष्टीकरण

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक, उपरोक्त उल्लिखित ब्यौरों के अनुसार परिशिष्ट-1 / परिशिष्ट-2 प्रजातियों के तारीखसे कब्जे में हैं और घरेलू संपत्ति के रूप में मानी गई है।

2. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों की कोई गलत जानकारी/ उल्लंघन इस प्रमाण पत्र को अविधिमान्य कर देगा।

यह प्रमाण पत्र सं. -----द्वारा जारी है।

स्थान:

तारीख:

सुरक्षा स्टॉप, हस्ताक्षर और शासकीय मुहर

प्ररूप VI

[नियम 6 का उपनियम (1) देखें]

परिशिष्ट1 प्रजातियों के परिशिष्ट2 के रूप में बंदी प्रजनन मानी जाने के लिए आवेदन

1.	आवेदक का नाम (आधार संख्या के साथ)				
2.	आवेदक का पता (सबूत के साथ)				
3.	टेलीफोन या मोबाइल नंबर				
4.	ई-मेल आईडी				
5.	प्रजाति का नाम				
(क)	सामान्य नाम				
(ख)	वैज्ञानिक नाम				
6.	नमूने की संख्या				
7.	नर /मादा /अलिंग				
8.	जन्म तारीख				
9.	सुविधा का पता				
10.	माता-पिता का रजिस्ट्रीकरण				
11.	रजिस्ट्रीकरण की तारीख				
12.	सुविधा के लिए सीआईटीईएस रजिस्ट्रीकरण संख्या				
13.	वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 49 के अधीन मुख्य वन्य जीव वार्डन द्वारा प्रदत्त अनुज्ञप्ति संख्यांक				
14.	प्रयोजन जिसके लिए प्रजातियों का आयात किया गया था				
15.	नमूनों के व्यौरे				
सामान्य नाम	वैज्ञानिक नाम	नमूनों की संख्या/मात्रा	नई पौध/वृक्षों की आयु	लिंग	हारमोनाइज्ड सिस्टम एचएस कोड पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्पष्टीकरण
15.	टिप्पणियां				

तारीख:

स्थान:

आवेदक का नाम और हस्ताक्षर

संलग्नकों की सूची:

1. आवेदक के आधार कार्ड की प्रति
2. वन्य प्राणी और वनस्पति की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सचिवालय पर अभिसमय से रजिस्ट्रीकृत प्रमाणपत्र की प्रति
3. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 49 के अधीन मुख्य वन्य जीव वार्डन द्वारा प्रदत्त अनुज्ञप्ति की प्रति।
4. आवेदक के पते की प्रति।
5. परिशिष्ट-1 की प्रजातियों के निर्यात के मामले में, वन्य प्राणी और वनस्पति की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रबंधन प्राधिकरण पर संबंधित अभिसमय द्वारा जारी किए गए अग्रिम आयात अनुज्ञापत्र की प्रति।

6. परिशिष्ट-1 की प्रजातियों के निर्यात के मामले में, वन्य प्राणी और वनस्पति की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रबंधन प्राधिकरण पर अभिसमय द्वारा जारी आयात अनुज्ञापत्र/पुनःनिर्यात के मामले में विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी आयात अनुज्ञप्ति की प्रति।

7. मुख्य वन्य जीव वार्डन के अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति।

प्ररूप VII

[नियम 8 का उप-नियम (1) देखें]

प्ररूप VII		
वैज्ञानिक या वैज्ञानिक संस्थान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, जो गैर-वाणिज्यिक ऋण, दान या वनस्पति संग्रहालय नमूनों के आदान-प्रदान, अन्य संरक्षित, शुष्क या सन्निहित संग्रहालय नमूनों और लाइव प्लांट सामग्रियों के लिए आशयित है		
1.	वैज्ञानिक/वैज्ञानिक संस्था का नाम	
2.	वैज्ञानिक/वैज्ञानिक संस्था का पता	
3.	जातियों का सामान्य नाम	
4.	जातियों का वैज्ञानिक नाम	
5.	व्यापार की प्रकृति	निर्यात/ पुनः-निर्यात
6.	व्यापार का तरीका	गैर-वाणिज्यिक ऋण/दान/विनिमय
7.	पहचान चिह्न सहित भाग/व्युत्पन्न का विवरण या यदि जीवित है तो नमूने की आयु, संख्या	
8.	व्यापार की जाने वाली मात्रा (नमूने की संख्या या किलोग्राम में शुद्ध वजन)	
9.	जंगली जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय, परमिट / प्रमाण पत्र संख्या और तारीख	
10.	विदेश व्यापार महानिदेशालय आयात/निर्यात लाइसेंस संख्या और तारीख	
11.	निकास/प्रवेश का पत्तन	
12.	रजिस्ट्रीकृत होने के लिए लेबल	
13.	कोई अन्य विवरण	

तारीख:

स्थान:

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम:

आवेदक का वर्तमान पता:

प्ररूप VIII

[नियम 8 का उप-नियम (3) देखें]

प्ररूप VIII		
जंगली जीवों और वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय प्रबंधन प्राधिकरण प्रमाण पत्र और वैज्ञानिक संस्थान के लिए लेबल		
1.	वैज्ञानिक/वैज्ञानिक संस्था/फोरेसिक अनुसंधान संस्था का नाम	
2.	वैज्ञानिक/वैज्ञानिक संस्था/फोरेसिक अनुसंधान संस्था का पता	
3.	नया आवेदन या आवेदन का नवीनीकरण	
3क.	यदि नवीनीकरण किया जाता है, तो कृपया जंगली	

	जीवों और वनस्पति प्राधिकरण लेबल संख्या की लुप्तप्राय जातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर पिछला अभिसमय प्रदान करें		
3.	जातियों का सामान्य नाम		
4.	जातियों का वैज्ञानिक नाम		
5.	व्यापार की प्रकृति	निर्यात/ पुनः निर्यात	
6.	व्यापार का तरीका	गैर-वाणिज्यिक ऋण/दान/विनिमय	
7.	पहचान चिह्न सहित भाग/व्युत्पन्न का विवरण या यदि जीवित है तो नमूने की आयु, संख्या		
8.	व्यापार की जाने वाली मात्रा (नमूने की संख्या या किलोग्राम में शुद्ध वजन)		
9.	जंगली जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय, परमिट / प्रमाण पत्र संख्या और तारीख		
10.	विदेश व्यापार आयात/निर्यात महानिदेशालय लाइसेंस संख्या और तारीख		
11.	निकास/प्रवेश का पत्तन		
12.	वैज्ञानिक संस्थान का नाम जहां नमूने का निर्यात करने का प्रस्ताव है, जंगली जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय जातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर उनके अभिसमय और रजिस्ट्रीकरण संख्या		
13.	लेबल लगाया जाना है		
14.	विवरण		
क्रम संख्या	नमूना का वर्गीकरण (जाति, जीन, आदेश, वर्ग)	सामान्य नाम विवरण	विवरण (वनस्पति संग्रहालय, अन्य सूखे संरक्षित नमूने, कोई अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)

प्रमाणपत्र

मैं,.....(प्राधिकरण का नाम) जंगली जीवों और वनस्पति प्रबंधन प्राधिकरण/अधिकृत अधिकारी की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय के रूप में प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा उस नमूने पर मुहर और स्टॉप लगाता हूं जिसका विवरण ऊपर दर्शाया गया है और जंगली जीवों और वनस्पति की लुप्तप्राय जातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय नमूने के साथ सौंपता हूं; जिसकी पहचान संख्या.....है।

जंगली जीवों और वनस्पति आईडी की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर यह अभिसमय अनंतरणीय है और यह से तक की अवधि के लिए वैध है।

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर और स्टॉप

तारीख :

स्थान :

प्ररूप IX

[नियम 9 का उप-नियम (1) देखें]

एक यात्रा चिड़ियाघर, सर्कस, प्रणी-संग्रह, संयंत्र प्रदर्शनी या अन्य यात्रा प्रदर्शनी में नमूनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन					
1	क्या आवेदन निर्यात आयात पुनः निर्यात के लिए है				
2	भारत में प्रवेश की तारीख				
3	भारत से बाहर निकलने की तारीख				
4	प्रवेश पत्तन (भारत)				
5	बाहर निकलने का पत्तन (भारत)				
6	गंतव्य देश (बाहर निकलने के मामले में)				
7	आयात का देश				
8	आवेदक का नाम (आधार संख्या सहित)				
9	आवेदक का पता (प्रमाण के साथ)				
10	फोन नं. या मोबाइल नं.				
11	ई-मेल आई डी				
12	प्रयोजन: सर्कस सजीव पौधा प्रदर्शक यात्रा चिड़ियाघर प्राणी-संग्रह यात्रा प्रदर्शनी				
13	नमूनों का विवरण				
क्रम संख्या	वैज्ञानिक नाम	सामान्य नाम	विवरण (जीवित पशु) व्युत्पन्न पशु / भाग; सजीव पौधे / व्युत्पन्न, आदि)	मात्रा (कि.ग्रा, मि.ग्रा. आदि में)	पहचान चिह्न (रजिस्ट्रीकरण संख्या, माइक्रोचिप, आदि,)

14	नमूने का स्रोत वन से कैद / कृत्रिम प्रचार से	
15	वन के मामले में, संग्रह के लिए परमिट आदि।	
16	कृत्रिम प्रचार/कैद के मामले में, सुविधा के रजिस्ट्रीकरण का विवरण मूल नमूनों की उत्पत्ति का विवरण (पशुओं के मामले में)	
17	नमूनों के परिवहन का तरीका	
18	नमूनों के परिवहन के लिए सुरक्षा उपाय (पशुओं के मामले में)	एक अलग शीट में विवरण प्रदान करें
19	वे स्थान जहां नमूनों को ले जाने का प्रस्ताव है	एक अलग विस्तृत यात्रा योजना संलग्न करें
20	नमूना का वर्तमान स्थान	

तारीख:

स्थान:

आवेदक का नाम और हस्ताक्षर

संलग्नकों की सूची:

1. आवेदक के आधार कार्ड की प्रति
2. वन्य जीवों और वनस्पति सचिवालय की लुप्तप्राय जातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रति।
3. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 49ड के अधीन मुख्य वन्य जीव वार्डन द्वारा दिए गए लाइसेंस की प्रति।
4. आवेदक का पता प्रमाण
5. परिशिष्ट I जातियों के निर्यात के मामले में जंगली जीवों और वनस्पति प्रबंधन प्राधिकरण की लुप्तप्राय जातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर संबंधित अभिसमय द्वारा जारी अग्रिम आयात परमिट की प्रति।
6. पुनः निर्यात के मामले में विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी परिशिष्ट I जातियों / आयात लाइसेंस के मामले में जंगली जीवों और वनस्पति प्रबंधन प्राधिकरण की लुप्तप्राय जातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय द्वारा जारी आयात परमिट की प्रति।
7. मुख्य वन्य जीव वार्डन के अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति

प्ररूप X

[नियम 11 का उप-नियम (3) देखें]

एक यात्रा चिड़ियाघर, सर्कस, प्रणी-संग्रह, संयंत्र प्रदर्शनी या अन्य यात्रा प्रदर्शनी में नमूनों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणन		
1	क्या आवेदन निर्यात आयात पुनः निर्यात के लिए है	
2	भारत में प्रवेश की तारीख	
3	भारत से बाहर निकलने की तारीख	
4	प्रवेश पत्तन (भारत)	
5	बाहर निकलने का पत्तन (भारत)	
6	गंतव्य देश (बाहर निकलने के मामले में)	
7	आयात का देश	
8	आवेदक का नाम (आधार संख्या सहित)	

9	आवेदक का पता (प्रमाण के साथ)	
10	फोन नं. या मोबाइल नं.	
11	ई-मेल आई डी	
12	प्रयोजन: सर्कस सजीव पौधा प्रदर्शक यात्रा चिडियाघर प्राणी-संग्रह यात्रा प्रदर्शनी	
13	नमूनों का विवरण	

क्रम संख्या	वैज्ञानिक नाम	सामान्य नाम	विवरण जीवित पशु/व्युत्पन्न पशु / भाग; सजीव पौधे / व्युत्पन्न, आदि)	मात्रा (कि.ग्रा, मि.ग्रा. आदि में)	पहचान चिह्न (रजिस्ट्रीकरण संख्या, माइक्रोचिप, आदि,)

प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि (आवेदक का नाम) तारीख..... द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रयोजन के लिए परीक्षा की गई है और इस प्राधिकरण को आवेदन में उल्लिखित और यात्रा चिडियाघर/सर्कस/प्राणी-संग्रह/संयंत्र प्रदर्शनी/अन्य यात्रा प्रदर्शनी के हिस्से के रूप में परिवहन किए जाने के लिए ऊपर उद्धृत नमूनों के लिए कोई आपत्ति नहीं है

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों की कोई भी गलत जानकारी/अतिक्रमण, इस प्रमाण पत्र को अमान्य बना देगा।

यह प्रमाण पत्र सं..... द्वारा जारी किया गया है:

स्थान

तारीख

सुरक्षा स्टांप, हस्ताक्षर और प्राधिकारिक मुद्रा

[फा. सं. डबल्यूएल/1/4/2023-डबल्यूएल]

सुशील कुमार अवस्थी, अतिरिक्त महानिदेशक, वन (वन्यजीव)
और निदेशक, वन्य जीव परिरक्षण

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 2024

G.S.R. 130(E).—In exercise of the powers conferred by clause (jii) of sub-section (1) of Section 63 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), read with sub-section (2) of Section 49 H, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the ‘Scheduled Specimen (Conditions and Procedure for exemption), Rules, 2024’.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Act” means the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972);
- (b) “ATA carnet” means an International uniform Customs document issued under ATA Convention;
- (c) “ATA Convention” means the Customs Convention on ATA Carnet for temporary Admission of Goods;
- (d) “Appendix” means an Appendix specified under Schedule IV appended to the Act;
- (e) “Form” means form annexed to these rules;
- (f) “Management Authority” means the authority designated under section 49E of the Act;
- (g) “owner” means the owner of a specimen and includes any person in possession of such specimen;
- (h) “Permit” means a permit or certificate issued under the Convention;
- (i) “personal or household effects” means specimens that are personally owned for non-commercial purposes and at the time of import, export or re-export either worn, carried or included in personal baggage; or part of a household move and does not include rhino horn and elephant ivory contained in hunting trophies;
- (j) “sample collection” means collection of dead specimen, parts and derivatives thereof specified in Appendix II or III and species specified in Appendix I relating to bred in captivity or artificially propagated for commercial purposes;

(2) The words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings, respectively assigned to them in the Act.

3. Exemptions for specimens under transit or transshipments.—(1) The specimens shall not require export or re-export permit when the specimen are in transit or transshipment through or in the territory of India while the specimens remain in the control of the Customs Department.

(2) The specimen shall be accompanied with the copy of export or re-export permit issued by the country of export or re-export, as the case may be.

(3) In the case of a sample collection,—

- (a) the permit must clearly show the destination of the shipment, which shall be the country of issuance;
- (b) the cross-border movements of sample collection of specimens covered under the ATA Convention shall be accompanied by a standard permit issued under the Convention, on which it shall be indicated that the document is a permit for export, re-export and, it shall clearly specify that the document is issued for a sample collection;
- (c) the permit shall specify that it covers a sample collection and is invalid unless accompanied by a valid ATA carnet;
- (d) the specimen covered by the permit shall not be sold or otherwise transferred whilst outside the territory of the State that issued the permit;
- (e) the number of accompanying ATA carnet shall be recorded and entered by the Customs responsible for the endorsement of the Customs document;

- (f) the name and address including the country of the importer and the exporter or re-exporter shall be the same in the permit and the ATA carnet, and the names of the countries to be visited shall be indicated;
- (g) the date of expiry the permit shall not be later than that of the ATA carnet accompanying it and the period of validity shall not be more than six months from the date on which it was granted;
- (h) the Customs shall, at the point of entry or exit, verify the presence of the permit issued under the Convention and allow it to remain with the collection, and ensure that the ATA carnet is properly endorsed with an authorised stamp and signature by a Customs official.

(4) The consignee shall on demand by the Management Authority or authorised officer or the officers of the Customs produce the permit to verify the presence of a valid permit.

4. Application for pre-convention certificate.—(1) Any person intending to export or re-export a specimen acquired prior to the commencement of the Wild Life (Protection) Amendment Act, 2022 shall make an application electronically to the Management Authority in Form I accompanied with a fee of one thousand rupees.

(2) Every application shall be accompanied with the legal procurement certificate, issued by an officer not below the rank of the Deputy Conservator of Forests having jurisdiction over the area, in Form II.

(3) The Management Authority or the authorised officer shall, if on verification finds that the date on which the specimen of the species was-

- i. removed from the wild; or
- ii. born in captivity or artificially propagated in a controlled environment; or
- iii. if such date is unknown or cannot be ascertained, the date on which the specimen was acquired shall be the date on which it was first possessed by the applicant,

is prior to the date on which the species concerned was first included in the Appendices, issue a certificate in Form III.

5. Exemptions for personal or household effects.—(1) Any person, who is a citizen of India and has acquired a specimen within India which is a personal or household effect shall apply in Form IV to the Management Authority or the authorised officer for registration of the specimen as personal or household effect.

(2) The application under sub-rule (1) shall be accompanied with the legal procurement certificate issued by an officer not below the rank of the Deputy Conservator of Forests having jurisdiction over the area in Form II and a fee of one thousand rupees.

(3) The Management Authority or the authorised officer shall issue a certificate of registration in Form V of the specimen as personal or household effect.

(4) If any person intends to export any of the following species as personal or household effect, it shall accompany a certificate to that effect issued by an agency authorised by the Management Authority or authorised officer, namely:—

- (a) caviar of sturgeon species (*Acipenseriformes* spp.) not exceeding one hundred and twenty five grams per person carried in a container labelled in accordance with the Convention;
- (b) rain sticks of Cactaceae species not exceeding three specimens per person;
- (c) specimens of agarwood not exceeding one kg of wood chips, twenty four ml of oil and two sets of beads or prayer beads (or two necklaces or bracelets) per person

(5) Any owner who has acquired the specimen in his country of citizenship shall be allowed import of such specimen without the export permit issued by the country of export if the specimen is accompanied by a certificate issued by the Management Authority of the country of export mentioning the specimen as a personal or household effect of the importer.

6. Specimen of Appendix I bred in captivity to be treated as that of Appendix II.—(1) Every owner of the specimen of the species listed in Appendix I and bred in captivity for commercial purposes shall apply in Form VI for seeking exemption under Article VII of the Convention for export purpose.

(2) The application under sub-rule (1) shall be accompanied with the legal procurement certificate issued by an officer not below the rank of the Deputy Conservator of Forests having jurisdiction over the area in Form II and a fee of one thousand rupees.

(3) The application under sub-rule (1) shall be accompanied with a proof that-

- (a) the facility is licenced in accordance with the rules made under the Act;
- (b) the facility is registered with the Secretariat of the Convention; and
- (c) the specimen to be exported carry a certificate of registration in accordance with rules made under the Act.

(4) The Management Authority may if the application is found to be in order, seek advice of the Scientific Authority, within a period of fifteen days.

(5) The Scientific Authority shall after making such inquiry and examination as it may consider necessary, advice to the Management Authority.

(6) The Management Authority upon receipt of advice of the Scientific Authority shall issue the permit for export or re-export within a period of fifteen days.

(7) The owner of the specimen of the Species listed in Appendix I of the Schedule IV and bred in captivity for commercial purposes who intends to seek exemption from the requirement of import permit shall require an export or re-export permit or certificate issued by the Management Authority of the country of export or re-export as the case may be with source code 'D'.

7. Acceptance of certificate in lieu of permits or certificates.—(1) In case of import of the specimen of a species listed in the Appendices, a certificate from the Management Authority of the country of export that any specimen of an animal species was bred in captivity or any specimen of a plant species was artificially propagated, or is a part of such an animal or plant or was derived therefrom with source code 'C' in case of animals and with source code 'A' in case of plants, shall be accepted in lieu of any other permits or certificates required under the Act.

(2) The trade in a specimen bred in captivity in Appendix I specimen shall be permitted only if it is marked in accordance with the provisions on marking in the Resolutions of the Convention and if the type and number of the mark are indicated on the document authorising the trade.

8. Non-commercial loan, donation or exchange between scientist, scientific institution.—(1) Any scientist or a scientific institution who intends to export herbarium specimens, other preserved, dried or embedded museum specimens, and live plant materials of species listed in Appendices as non-commercial loan, donation or exchange with scientist or a scientific institution registered with the Management Authority of the country of destination and seeking exemption regarding permit or certificate shall make an application for registration to the Management Authority for registration in Form VII.

(2) The application under sub-rule (1) shall be accompanied with the legal procurement certificate issued by the Deputy Conservator of Forests having jurisdiction over the area in Form II and a fee of one thousand rupees.

(3) The Management Authority upon being satisfied shall register the scientist or the scientific institution and issue a label mark to be affixed on the specimen or its package of the scientist or the scientific institution and the label in Form VIII.

(4) The Management Authority shall assign five-character code identifying registered institutions with the first two characters as 'IN' and the last three characters should be a unique number.

(5) The scientist or scientific institution may upon registration and issuance of the label mark as per sub-rule (3) shall be authorised to affix the label upon the specimen or its package before export.

(6) Any scientist or scientific institution seeking exemption from the requirement of permit and intending to import herbarium specimens, other preserved, dried or embedded museum specimens, and live plant material of the species listed in Appendices as a non-commercial loan, donation or exchange from scientist or scientific institution registered by a Management Authority of the country of export shall carry a label issued or approved by the Management Authority of that country.

9. Standards for registration of scientific institutions.—(1) Every scientist and scientific institution registered under rule 8 shall comply with the following standards namely:-

- (a) collections of animal or plant specimens, and records ancillary to them, permanently housed and professionally curated have been properly maintained;
- (b) specimens accessible to all qualified users, including those from other institutions have been recorded separately;
- (c) all accessions have been properly recorded in a permanent catalogue;
- (d) permanent records have been maintained for loans and transfers to other institutions;

- (e) specimens acquired primarily for purposes of research have been reported in scientific publications;
- (f) specimens have been prepared and collections have been arranged in a manner that ensures their utility;
- (g) accurate data have been maintained on specimen labels, permanent catalogues and other records;
- (h) acquisition and possession of specimens have been in accordance with the laws governing such acquisition and possession; and
- (i) all specimens of species included in Appendix I have been permanently and centrally housed under the direct control of the scientific institution, and managed in a manner to preclude the use of such specimens for decoration, trophies or other purposes incompatible with the principles of the Convention.

(2) In case of any institution engaged in forensic research, shall, in addition to the standards under sub-rule (1), comply with the following, namely:—

- (a) the Management Authority shall ensure that such institutions are suitable to provide wildlife forensic analysis;
- (b) animal or plant specimens acquired primarily for purposes of research, to expand forensic research capabilities through development of wildlife reference databases, have been properly recorded in a permanent catalogue;
- (c) permanent records contain information about loans and transfers to other institutions and the purpose of the transaction;
- (d) every institution shall made reference to its quality management system used for research conducted; and
- (e) accurate data, for example scientific name, weight, geographical origin, source code, purpose and result of research, have been recorded in the permanent catalogue, and specimens have been accurately and adequately labelled.

10. Registration of specimens in a travelling zoo, circus, menagerie, plant exhibition or other travelling exhibition.—(1) Any authorised person of a travelling zoo, circus, menagerie, plant exhibition or other travelling exhibition having specimen acquired prior to the commencement of the Wild Life (Protection) Amendment Act, 2022 shall apply for registration in Form IX of the such travelling zoo, circus, menagerie, plant exhibition or other travelling exhibition.

(2) The application under sub-rule (1) shall be accompanied with the legal procurement certificate issued by of the Deputy Conservator of Forests having jurisdiction over the area in Form II and a fee of one thousand rupees.

(3) The Management Authority or the authorised officer shall issue a registration certificate in Form X if the Management Authority is satisfied that -

- (a) such specimen is in accordance with section 49 M of the Act and rules made thereunder in case of live animals;
- (b) any living specimen will be so transported and cared for as to minimize the risk of injury, damage to health or treatment in compliance with the provisions of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960).

(4) Such specimens which are part of travelling zoo, circus, menagerie, plant exhibition or other travelling exhibition registered with the Management Authority may be exported without an export or re-export permit.

11. Verification with country of import.—The applicant shall, before export or re-export from India, check with potential importers or with the Management Authority of the intended country of destination whether such country shall accept the certificate issued under these Rules for import.

Form I
[See sub-rules (1) and (3) of Rule 4]

Form I		
Form for Application for Pre-Convention Certificate		
General information (mandatory for all cases):		
1.	(a) Name of the applicant	
	(b) Aadhar number of applicant	
	(c) Import Export Code	
2.	Permanent Address of the applicant	
3.	Present Address of the applicant	
4.	Purpose of the application (Please tick mark)	Export / Import / Re-export / Introduction from the Sea

	whichever is applicable)	
5.	Source of specimen	
6.	Purpose of Export / Import / Re-export / Introduction from the Sea	
7.	Details of fee paid	
	(a) Transaction number / D.D. no	
	(b) Amount paid	
8.	Details of Specimen	

Common Name	Scientific name	Number /quantity of specimens	Age /sapling /tree	Sex	ITC HS Code

9.	Name of the Consignee	
10.	Address of the Consignee	
12.	Legal Procurement Certificate Number, Date, Place, and Name of issuing Authority	
13.	Whether Licence has been issued by the Chief Wild Life Warden under Chapter III B of the Act in case of specified plants	YES/NO
14.	If imported, provide date of import, port of import and bill of entry no. and date and in case of restricted Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora listed items, import license number and date of issue by Directorate General of Foreign Trade, permission letter of Ministry of Environment, Forest and Climate Change allowing the import	
15.	Port of Exit	
16.	Any other detail	

Undertaking

I[name of the applicant] Son of or Daughter of or Wife of[Father's name or Husband Name] hereby declare that all the particulars furnished by me are true to the best of my knowledge and any detail furnished above, if found to be false shall make my application liable for rejection.

I shall abide by all the conditions mentioned in the Regulation in International Trade in Specimens Rules, 2023 and any other condition that may be imposed by the Chief Wild Life Warden.

Date:

Signature:

Place:

Name of the Applicant:

Present Address of the Applicant:

List of enclosures:

1. Copy of the Aadhar Card of the Applicant or Registration Certificate or Certificate of incorporation in case of a Society or Company or Board etc.
2. Address proof of the Applicant
3. Copy of the Advance Import permit issued by the concerned Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora Management Authority in case of export of Appendix I Species

4. Copy of the Import permit issued by Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora Management Authority in case of Appendix I Species/Import licence issued by Directorate General of Foreign Trade in case of re-export.
5. Copy of Legal Procurement Certificate issued by concerned Forest Department in case of export.
6. Copy of No Objection Certificate of Chief Wild Life Warden

FORM II**[See sub-rules (2) of rules 4, 5, 6, 8 and 11]****LEGAL PROCUREMENT CERTIFICATE****(Fauna/Flora/Derivatives)****(NON-TRANSFERABLE)****CERTIFICATE NO.****DATED****VALID UPTO**

1. This certificate is hereby issued in favour of Mr./Ms. _____ Son of/Daughter of/Wife of _____ resident of _____ (Postal Address) holder of Licence no.(if applicable) _____ for export of specimen of species as detailed in the table below.
2. I hereby certify that the specimen of species listed in Schedule IV described in the table below have been verified by this office and the same are recommended for export/re-export.
3. Details of specimen of species:

Serial number	Description of the item	Scientific name of the species	Common/Local Name	Quantity (No/weight)	Remarks if any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Signature and designation of the official
(not below the rank of the Deputy Conservator of Forests)
Designation

Form-III**[See sub rule (3) of Rule 4 and sub-rule (2) of rule 11]**

Pre-Convention Certificate		PERMIT/CERTIFICATE No.		Original	
		☐ EXPORT ☐ RE-EXPORT		2. Valid until	
3. Importer (name and address)		4. Exporter/re-exporter (name, address and country)			
3a. Country of import		Signature of the applicant _____			
5. Special conditions If for live animals, this permit or certificate is valid only if the transport conditions comply with the International Air Transport Association Live Animals Regulations; if for live plants, with the International Air Transport Association Perishable Cargo Regulations; or, in the case of non-air transport, with the Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora Guidelines for the Non-Air Transport of Live Wild Animals and Plants					
5a. Purpose of the transaction	5b. Security stamp no.	6. Name, address, national seal/stamp and country of Management Authority			
7./8. Scientific name (genus and species) and common name of	9. Description of specimens, including identifying marks or numbers (age/sex if live)				
10. Appendix no. and source	11. Quantity (including unit)	11a. Total exported/Quota			

animal or plant							
A	7./8.	9		10	11		11a
	12. Country of origin	Permit no.	Date	12a. Country of last re-export	permit number	Date	12b. Date of acquisition
B	7./8.	9		10	11		11a
	12. Country of origin	Permit no.	Date	12a. Country of last re-export	permit number	Date	12b. Date of acquisition
C	7./8.	9		10	11		11a
	12. Country of origin	Permit no.	Date	12a. Country of last re-export	permit number	Date	12b. Date of acquisition
D	7./8.	9		10	11		11a
	12. Country of origin	Permit no.	Date	12a. Country of last re-export	permit number	Date	12b. Date of acquisition
* Country in which the specimens were taken from the wild, bred in captivity or artificially propagated (only in case of re-export)							
13. This permit/certificate is issued by:							
_____ _____ Place Date Security stamp, signature and official seal							
14. Export endorsement:				15. Bill of Lading/Air waybill number:			
Block	Quantity						
A							
B							
C							
D							
_____ _____ Port of export Date Signature Official stamp and title							

PRE-CONVENTION PERMIT/CERTIFICATE No.**Instructions and explanations****(These correspond to block numbers on the form)**

1. Tick the square which corresponds to the type of document issued (export permit, re-export certificate, import permit or other). If the box "other" has been ticked, the type of document must be indicated. The original number is a unique number allocated to each document by the Management Authority.

2. For export permits and re-export certificates, the date of expiry of the document may not be more than six months after the date of issuance (one year for import permits).

3. **Complete** name and address of the importer.

3a. The name of the country must be written in full.

4. **Complete** name and address of the exporter/re-exporter. The name of the country must be stated. The absence of the signature of the applicant renders the permit or certificate invalid.

5. Special conditions may refer to national legislation or special conditions placed on the shipment by the issuing Management Authority. This block can also be used to justify the omission of certain information.

5a. The following codes should be used: **T** for commercial, **Z** for zoo, **G** for botanical garden, **Q** for circus or travelling exhibition, **S** for scientific, **H** for hunting trophy, **P** for personal, **M** for medical, **E** for education, **N** for reintroduction or introduction into the wild, **B** for breeding in captivity or artificial propagation and **L** for law enforcement / judicial / forensic.

5b. Indicate the number of the security stamp affixed in block 13.

6. The name, address and country of the issuing Management Authority should already be printed on the form.

7-8. Indicate the scientific name (genus and species, where appropriate subspecies) of the animal or plant as it appears in the Convention Appendices or the reference lists approved by the Conference of the Parties, and the common name of the animal or plant as known in the country issuing the permit.

9. Describe, as precisely as possible, the specimens entering trade (live animals, skins, flanks, wallets, shoes, etc.). If a specimen is marked (tags, identifying marks, rings, etc.), whether or not this is required by a Resolution of the Conference of the Parties (specimens originating in a ranching operation, specimens subject to quotas approved by the Conference of the Parties, specimens of Appendix-I species bred in captivity for commercial purposes, etc.), indicate the number and type of mark. The sex and age of the live animals should be recorded, if possible.

10. Enter the number of the Appendix of the Convention (I, II or III) in which the species is listed.

Use the following codes to indicate the source:

W Specimens taken from the wild

X Specimens taken in “the marine environment not under the jurisdiction of any State”.

R Ranched specimens: specimens of animals reared in a controlled environment, taken as eggs or juveniles from the wild, where they would otherwise have had a very low probability of surviving to adulthood.

D Appendix-I animals bred in captivity for commercial purposes in operations included in the Secretariat's Register, in accordance with Resolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15), and Appendix-I plants artificially propagated for commercial purposes, as well as parts and derivatives thereof, exported under the provisions of Article VII, paragraph 4, of the Convention

A Plants that are artificially propagated in accordance with Resolution Conf. 11.11 (Rev. CoP18), as well as parts and derivatives thereof, exported under the provisions of Article VII, paragraph 5 (specimens of species included in Appendix I that have been propagated artificially for non-commercial purposes and specimens of species included in Appendices II and III)

C Animals bred in captivity in accordance with Resolution Conf. 10.16 (Rev.), as well as parts and derivatives thereof, exported under the provisions of Article VII, paragraph 5

F Animals born in captivity (F1 or subsequent generations) that do not fulfil the definition of ‘bred in captivity’ in Resolution Conf. 10.16 (Rev.), as well as parts and derivatives thereof

Y Specimens of plants that fulfil the definition for ‘assisted production’ in Resolution Conf. 11.11 (Rev. CoP18) as well as parts and derivatives thereof

U Source unknown (**must be justified**)

I Confiscated or seized specimens

O Pre-Convention specimens (may be used with other source codes).

11. The quantity and units indicated should conform to the most recent version of the *Guidelines for the preparation and submission of Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora annual reports*.

11a. Indicate the total number of specimens exported in the current calendar year (1 January to 31 December) (including those covered by the present permit) and the current annual quota for the species concerned (for example 500/1000). This should be done for the national quotas as well as for those determined by the Conference of the Parties.

12. The country of origin is the country in which the specimens were taken from the wild, bred in captivity or artificially propagated, except in the case of plant specimens that cease to qualify for an exemption from the provisions of Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora. In such instances, the country of origin is deemed to be the country in which the specimens ceased to qualify for the exemption. Indicate the number of the permit or certificate of the exporting country and the date of issuance. If all or part of the information is not known, this should be justified in block 5. This block must only be completed in case of re-exports;

12a. The country of last re-export is the country from which the specimens were re-exported before entering the country in which the present document is issued. Enter the number of the re-export certificate of the country of last re-export and its date of issuance. If all or part of the information is not known, this should be justified in block 5. This block must only be completed in case of re-export of specimens previously re-exported.

12b. The “No. of the operation” is the number of the registered captive-breeding or artificial propagation operation. The “date of acquisition” is defined in Resolution Conf. 13.6 (Rev. CoP16) and is required only for pre-Convention specimens.

13. To be completed by the official who issues the permit. The name of the official must be written in full. The security stamp must be affixed in this block and must be cancelled by the signature of the issuing official and a stamp or seal. The seal, signature and security-stamp number should be clearly legible.

14. To be completed by the official who inspects the shipment at the time of export or re-export. Enter the quantities of specimens actually exported or re-exported. Strike out the unused blocks.

15. Enter the number of the bill of lading or air way-bill if the method of transport used requires the use of such a document.

AFTER USE THIS DOCUMENT MUST BE RETURNED TO the MANAGEMENT AUTHORITY OF THE IMPORTING COUNTRY.

Form IV
[See sub-rule (1) of rule 5]

Form for Application for personal or Household effects						
1.	(a) Name of the applicant					
	(b) Aadhar number of applicant					
2.	Permanent Address of the applicant					
3.	Present Address of the applicant					
4.	Purpose of the application (Please tick mark whichever is applicable)	Export / Re-export				
	Additional details of purpose of application					
5.	Source of specimen					
6.	Purpose of Export / Import / Re-export / Introduction from the Sea					
7.	Details of fee paid					
	(a) Transaction number / D.D. no					
	(b) Amount paid					
8.	Details of Specimen					
	Common Name	Scientific name	Number /quantity of specimens	Age /sapling /tree	Sex	International Trade Clarification based on Harmonized System HS Code
9.	Documentary proof for acquisition of household artifact					
10	Date since when the specimen has been with the					

	applicant	
11.	Legal Procurement Certificate Number, Date, Place, and Name of issuing Authority	
11.	Port of Exit	
12.	Any other detail	

Undertaking

I[name of the applicant] Son of or Daughter of or Wife of[Father's name or Husband Name] hereby declare that the all the particulars furnished by me are true to the best of my knowledge and any detail furnished above, if found to be false shall make my application liable for rejection.

I shall abide by all the conditions mentioned in the Regulation in International Trade in Specimens Rules, 2023 and any other condition that may be imposed by the Chief Wild Life Warden.

Date: _____ Signature _____

Place: _____

Name of the Applicant: _____

Present Address of the Applicant: _____

List of enclosures:

1. Copy of the Aadhar Card of the Applicant or Registration Certificate etc.
2. Address proof of the Applicant
3. Copy of the Advance Import permit issued by the concerned Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora Management Authority in case of export of Appendix I Species
4. Copy of the Import permit issued by Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora Management Authority in case of Appendix I Species/Import licence issued by Directorate General of Foreign Trade in case of re-export.
5. Copy of Legal Procurement Certificate issued by concerned Forest Department in case of export.
6. Copy of No Objection Certificate of Chief Wild Life Warden

FORM V

[See sub-rule (3) of rule 5]

Certificate for household effects					
1.	(a) Name of the applicant				
	(b) Aadhar number of applicant				
	(c) Import Export Code				
2.	Permanent Address of the applicant				
3.	Present Address of the applicant				
4.	Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora Import Permit Number and Date of issue, if applicable				
5.	Date since when the specimen has been with the applicant				
6.	Details of Specimen for which extension of validity of permit/certificate is granted				
Common Name	Scientific name	Number or quantity of specimens	of Age or sapling or tree	Sex	International Trade

					Clarification based on Harmonized System

1. This is to certify that the applicant, as per details mentioned above, is in possession of the Appendix I/Appendix II species since..... and is treated as an household property.
2. Any misinformation/violation of the provisions of Wild Life (Protection) Act, 1972 shall render this certificate granted invalid.

This certificate bearing no.....is issued by:

Place

Date

Security stamp, signature and official seal

FORM VI

[See sub-rule (1) of rule 6]

Application for treating Appendix I species bred in captivity as Appendix II

1	Name of the Applicant (with Aadhar number)				
2	Address of the Applicant (with proof)				
3	Phone Number or mobile				
4	E-mail id				
5	Name of the Species				
(a)	Common Name				
(b)	Scientific name				
6	Number of specimen				
7	Male/Female/unsexed				
8	Date of birth				
9	Address of the facility				
10	Registration no. of parents				
11	Date of registration				
12	CITES Registration number for the facility				
13	Licence number granted by Chief Wild Life Warden under Section 49 N of the Wild Life (Protection) Act, 1972				
14	Purpose for which the species was imported				
15	Details of Specimens				
Common Name	Scientific name	Number or quantity of specimens	Age or sapling or tree	Sex	International Trade Clarification based on Harmonized System Code
16	Remarks				

Date:

Place:

Name and Signature of the applicant

List of enclosures:

1. Copy of the Aadhar Card of the Applicant
2. Copy of Registration Certificate from Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora Secretariat.
3. Copy of Licence granted by Chief Wild Life Warden under Section 49 N of the Wild Life (Protection) Act, 1972.
4. Address proof of the Applicant
5. Copy of the Advance Import permit issued by the concerned Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora Management Authority in case of export of Appendix I Species
6. Copy of the Import permit issued by Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora Management Authority in case of Appendix I Species/Import licence issued by Directorate General of Foreign Trade in case of re-export.
7. Copy of No Objection certificate of Chief Wild Life Warden

Form VII
[See sub-rule (1) of rule 8]

Form VII Application for registration of Scientist or Scientific institution who intends, for a non-commercial loan, donation or exchange of herbarium specimens, other preserved, dried or embedded museum specimens, and live plant materials		
1.	Name of the Scientist/Scientific Institution	
2.	Address of the Scientist/Scientific Institution	
3.	Common Name of the Species	
4.	Scientific Name of the Species	
5.	Nature of trade	Export / Re-export
6.	Mode of trade	Non-commercial loan/donation/exchange
7.	Description of part/derivative including identification marks or if alive, number, age of specimen	
8.	Quantity (Number of specimen or net weight in kilograms) to be traded	
9.	Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora permit/certificate Number and date	
10.	Directorate general of Foreign Trade Import/Export Licence Number and date	
11.	Port of Exit/Entry	
12.	Label to be registered	
13.	Any other detail	

Date:
Place:

Signature

Name of the Applicant:
Present Address of the Applicant:

FORM VIII
[See sub-rule (3) of rule 8]

FORM VIII Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora <u>Management Authority</u> <u>Certificate and Label for Scientific Institution</u>			
1.	Name of the Scientist/Scientific Institution/Forensic Research Institution		
2.	Address of the Scientist/Scientific Institution/Forensic Research Institution		
3.	Fresh application or Renewal of application		
3a.	If renewal, please provide the previous Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora Authority Label number		
3.	Common Name of the Species		
4.	Scientific Name of the Species		
5.	Nature of trade	Export /Re-export	
6.	Mode of trade	Non-commercial loan/donation/exchange	
7.	Description of part/derivative including identification marks or if alive, number, age of specimen		
8.	Quantity (Number of specimen or net weight in kilograms) to be traded		
9.	Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora permit/certificate Number and date		
10.	Directorate General of Foreign Trade Import/Export Licence Number and date		
11.	Port of Exit/Entry		
12.	Name of the Scientific Institution where specimen is proposed to be exported, with their Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora Registration number		
13.	Label to be placed		
14.	Details		
Serial number	Classification of specimen (species, genus, order, class)	Common name	Description (herbarium, other dried preserved specimen, any other (please specify))

Certificate

I..... (Name of the authority)
 as the Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora Management Authority/authorized officer by the Management Authority hereby affixes the stamp and seal on the specimen whose details have been indicated above and assign the specimen with Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora ID Number.....
 This Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora ID is non transferable and is valid for a period from..... to.....

Signature and Stamp of the issuing authority

Date:
Place:

FORM IX
[See sub-rule (1) of rule 9]

<u>Application for Registration of specimens in a travelling zoo, circus, menagerie, plant exhibition or other travelling exhibition</u>																																									
1	Whether application is for EXPORT IMPORT RE-EXPORT																																								
2	Date of entry into India																																								
3	Date of exit from India																																								
4	Port of entry (India)																																								
5	Port of exit (India)																																								
6	Country of destination (in case of exit)																																								
7	Country of import																																								
8	Name of the Applicant (with Aadhar number)																																								
9	Address of the Applicant (with proof)																																								
10	Phone Number or mobile																																								
11	E-mail id																																								
12	Purpose: Circus Live plant exhibitor Travelling zoo Menagerie Travelling exhibitions																																								
13	Details of specimens																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Serial number</th> <th style="width: 15%;">Scientific name</th> <th style="width: 15%;">Common name</th> <th style="width: 20%;">Description (Live animal, animal derivate/parts; Plants live/derivate, etc)</th> <th style="width: 15%;">Quantity (in Kgs, mgs, etc.)</th> <th style="width: 20%;">Identification marks (registration number, microchip, etc.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>						Serial number	Scientific name	Common name	Description (Live animal, animal derivate/parts; Plants live/derivate, etc)	Quantity (in Kgs, mgs, etc.)	Identification marks (registration number, microchip, etc.)																														
Serial number	Scientific name	Common name	Description (Live animal, animal derivate/parts; Plants live/derivate, etc)	Quantity (in Kgs, mgs, etc.)	Identification marks (registration number, microchip, etc.)																																				
14	Source of specimen From Wild From Captivity/Artificial propagation																																								
15	In case of wild, permit for collection etc.																																								
16	In case of artificial propagation/captivity, Details of Registration of the facility Details of origin of parent specimens (in case of animals)																																								

17	Mode of transportation of the specimens	
18	Safety measures for the specimens (in case of animal) transportation	Provide details in a separate sheet
19	Places where the specimens are proposed to be transported	Attach a separate detailed travel plan
20	Present location of the specimen	

Date:

Place:

Name and Signature of the applicant

List of enclosures:

1. Copy of the Aadhar Card of the Applicant
2. Copy of Registration Certificate from Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora Secretariat.
3. Copy of Licence granted by Chief Wild Life Warden under Section 49 N of the Wild Life (Protection) Act, 1972.
4. Address proof of the Applicant
5. Copy of the Advance Import permit issued by the concerned Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora Management Authority in case of export of Appendix I Species
6. Copy of the Import permit issued by Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora Management Authority in case of Appendix I Species/Import licence issued by Directorate General of Foreign Trade in case of re-export.
7. Copy of No Objection Certificate of Chief Wild Life Warden

FORM X**[See sub-rule (3) of rule 11]**

Registration Certificate of specimens in a travelling zoo, circus, menagerie, plant exhibition or other travelling exhibition											
1	Whether application is for EXPORT IMPORT RE-EXPORT										
2	Date of entry into India										
3	Date of exit from India										
4	Port of entry (India)										
5	Port of exit (India)										
6	Country of destination (in case of exit)										
7	Country of import										
8	Name of the Applicant (with Aadhar number)										
9	Address of the Applicant (with proof)										
10	Phone Number or mobile										
11	E-mail id										
12	Purpose: Circus Live plant exhibitor Travelling zoo Menagerie Travelling exhibitions										
13	Details of specimens										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Serial number</th> <th>Scientific name</th> <th>Common name</th> <th>Description</th> <th>Quantity</th> <th>Identification</th> </tr> </thead> </table>						Serial number	Scientific name	Common name	Description	Quantity	Identification
Serial number	Scientific name	Common name	Description	Quantity	Identification						

			(Live animal, animal derivate/parts; Plants live/derivate, etc)	(in Kgs, mgs, etc.)	marks (registration number, microchip, etc.)

Certificate

This is to certify that the application submitted by(name of applicant) dated..... for the purpose of..... has been examined and this authority has no objection for the specimens mentioned in the application and quoted above to be transported as part of travelling zoo/ circus/menagerie/plant exhibition/other travelling exhibition

Any misinformation/violation of the provisions of Wild Life (Protection) Act, 1972 shall render this certificate granted invalid.

This certificate bearing no.....is issued by:

Place
Date

Security stamp, signature and official seal

[F. No. WL/1/4/2023-WL]
SUSHIL KUMAR AWASTHI, Addl. Dir. Gen. (Wildlife)
and Dir. Wild Life Preservation